

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/परीक्षा/2018/...794

रीवा, दिनांक 22/10/14

संशोधित अधिसूचना

सत्र 2018-19 में स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेशित समस्त छात्र/छात्राओं द्वारा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु पंजीयन कराया जाना है। पंजीयन के पश्चात ही नामांकन क्रमांक जारी किया जावेगा। प्रवेशित छात्रों द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क ऑनलाइन द्वारा ही जमा किया जावेगा। निर्धारित नामांकन शुल्क जमा होने के पश्चात ही महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग द्वारा नामांकन फार्म का सत्यापन किया जावे।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित सत्र 2018-19 में ऐसे छात्र जिनका विश्वविद्यालय में पूर्व से नामांकन नहीं है, वे भी एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से नामांकन हेतु पंजीयन करावें।

जिन छात्रों को इस विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में ऑनलाइन/ऑफलाइन के माध्यम से नामांकन प्राप्त हुआ है उन्हें भी प्रवेशित पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर) के लिये ऑनलाइन पंजीयन आवश्यक है। (ऐसे छात्रों को नामांकन शुल्क देय नहीं है।)

ऑनलाइन पंजीयन की तिथि दिनांक 01.09.2018 से 25.11.2018 तक। 25.11.2018 के उपरान्त ऑनलाइन नामांकन कराने पर नियमानुसार निर्धारित बिलम्ब शुल्क देय होगा।

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग द्वारा सत्यापन 01.09.2018 से 28.11.2018 तक मान्य। नामांकन फार्म सत्यापन उपरान्त विश्वविद्यालय कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज (जैसे- मूलप्रति माइग्रेशन, अर्हतादायी अंकसूची, अन्य आवश्यक शुल्क नियमानुसार जो देय है पूर्ति होने पर ही, सत्यापन करें) सहित दिनांक 30.11.2018 तक, अनिवार्यतः जमा करें। अन्यथा की स्थिति में नामांकन जारी नहीं किया जावेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, प्रभारी आचार्य का होगा।

विशेष:- महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग से हार्डकापी प्राप्त होने उपरांत ही नामांकन जारी किया जावेगा, अन्यथा नहीं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)।
02. आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)।
03. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा/शहडोल संभाग की ओर इस आशय के साथ कि कृपया रीवा/शहडोल संभाग के सभी महाविद्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।